



Swami Vivekananda Advanced Journal for Research and Studies

Online Copy of Document Available on: www.svajrs.com

ISSN:2584-105X

Pg. 348-355



स्वतंत्रता के पश्चात भारत की शिक्षा नीतियों एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तुलनात्मक अध्ययन

Harsha

M.A. in Political Science, University of Delhi, UGC NET Qualified (Dec 2024),
Assistant Professor (Guest Faculty), Bhagini Nivedita College, University of Delhi.

Accepted: 10/02/2026

Published: 20/02/2026

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.21793647>

सार

यह शोध-पत्र स्वतंत्रता के पश्चात भारत में निर्मित प्रमुख शिक्षा नीतियों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ऐतिहासिक, तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का केंद्रीय तर्क यह है कि भारतीय शिक्षा-नीति का विकास केवल संस्थागत विस्तार की कहानी नहीं है, बल्कि समानता, गुणवत्ता, राष्ट्रीय एकता, भाषायी विविधता, व्यावसायिकता, ज्ञान-उत्पादन और शासन-व्यवस्था के बीच बदलते संतुलन का इतिहास भी है। 1968 की नीति ने राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली, समान अवसर और त्रिभाषा सूत्र को संस्थागत वैधता प्रदान की; 1986 की नीति तथा 1992 की कार्ययोजना ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, महिला शिक्षा, वंचित समूहों, शिक्षक-शिक्षा और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया; जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समग्र, बहुविषयी, लचीली, प्रौद्योगिकी-सक्षम और दक्षता-आधारित शिक्षा की व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत की। शोध गुणात्मक और दस्तावेज-आधारित है तथा नीति-पाठों, आयोगों की रिपोर्टों, आधिकारिक सांख्यिकीय प्रतिवेदनों और चयनित शैक्षिक अध्ययनों का तुलनात्मक विश्लेषण करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नीति 2020 कई पुराने आदर्शों को नई संरचनात्मक भाषा में पुनर्संगठित करती है, किंतु उसके परिणाम वित्तीय प्रतिबद्धता, संघीय समन्वय, शिक्षक-क्षमता, डिजिटल समानता और सार्वजनिक संस्थानों की सुदृढ़ता पर निर्भर हैं।

मुख्य शब्द: शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समानता, गुणवत्ता, बहुविषयकता, शिक्षक-शिक्षा, डिजिटल विभाजन

1. प्रस्तावना

स्वतंत्र भारत में शिक्षा को राष्ट्र-निर्माण, लोकतांत्रिक नागरिकता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के प्रमुख साधन के रूप में देखा गया। औपनिवेशिक शासन से प्राप्त शिक्षा-व्यवस्था सीमित पहुंच, परीक्षामुखी पाठ्यक्रम, भाषायी पदानुक्रम और शहरी अभिजन-केंद्रित संस्थाओं से चिह्नित थी। संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक अधिकारों और शिक्षा संबंधी राज्य के दायित्वों के माध्यम से एक नया मानक स्थापित किया, किंतु इस मानक को वास्तविक संस्थागत व्यवस्था में रूपांतरित करना लंबी और असमान प्रक्रिया रही। स्वतंत्रता के बाद गठित आयोगों और नीतियों ने शिक्षा को कभी राष्ट्रीय एकता, कभी मानव संसाधन, कभी सामाजिक रूपांतरण और कभी ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दृष्टि से परिभाषित किया। इसलिए शिक्षा नीतियों का अध्ययन केवल घोषणाओं का क्रम नहीं, बल्कि राज्य, समाज और बाजार के बदलते संबंधों की व्याख्या भी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे समय में सामने आई जब विद्यालयी नामांकन में व्यापक वृद्धि हो चुकी थी, उच्च शिक्षा का आकार तेजी से बढ़ रहा था, डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही थी और रोजगार की प्रकृति बदल रही थी। इसके साथ ही सीखने की गुणवत्ता, क्षेत्रीय असमानता, निजीकरण, शिक्षकों की कमी, बहुभाषिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में विखंडन जैसी समस्याएं बनी रहीं। नीति 2020 ने शिक्षा की संरचना, पाठ्यचर्या, मूल्यांकन, शिक्षक-तैयारी, उच्च शिक्षा शासन और अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक पुनर्गठन का प्रस्ताव किया। यह व्यापकता नीति को महत्वपूर्ण बनाती है, परंतु इसी कारण इसके विश्लेषण में घोषणात्मक नवीनता और वास्तविक संस्थागत क्षमता के बीच भेद करना आवश्यक है।

इस शोध-पत्र में 1968, 1986, 1992 और 2020 की नीतियों को एक रैखिक प्रगति के रूप में नहीं, बल्कि निरंतरता, संशोधन और नीति-विचलन की परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में पढ़ा गया है। तुलनात्मक दृष्टि का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि नीति 2020 किन बिंदुओं पर पूर्ववर्ती नीतियों का विस्तार करती है, किन बिंदुओं पर उनसे अलग मार्ग अपनाती है और किन प्रश्नों को नए शब्दों में दोहराती है। भारतीय शिक्षा-नीति में समानता और गुणवत्ता के संबंध को समझे बिना किसी भी नीति का मूल्यांकन अपूर्ण रहेगा, क्योंकि विस्तार के बावजूद अवसरों और परिणामों में गहरी सामाजिक विषमता लंबे समय से मौजूद रही है (नार्डक, 1975)।

2. अध्ययन की समस्या, उद्देश्य और पद्धति

अध्ययन की मूल समस्या यह है कि नीति 2020 को प्रायः

एक सर्वथा नई शिक्षा-दृष्टि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि उसकी अनेक अवधारणाओं की जड़ें पूर्ववर्ती आयोगों और नीतियों में मिलती हैं। समान विद्यालय प्रणाली, मातृभाषा में शिक्षा, कार्य-अनुभव, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक की केंद्रीय भूमिका, अनुसंधान-संवर्धन तथा शिक्षा पर पर्याप्त सार्वजनिक व्यय जैसे प्रश्न 1960 के दशक से नीति-विमर्श में उपस्थित रहे हैं। अतः शोध का पहला उद्देश्य प्रमुख शिक्षा नीतियों की वैचारिक और संस्थागत विशेषताओं की पहचान करना है। दूसरा उद्देश्य विद्यालयी संरचना, पाठ्यचर्या, भाषा, समानता, शिक्षक-शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे तुलनात्मक आयामों पर नीति 2020 का मूल्यांकन करना है। तीसरा उद्देश्य क्रियान्वयन की संभावनाओं और बाधाओं को संघीय शासन तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से समझना है।

यह अध्ययन गुणात्मक, ऐतिहासिक और दस्तावेज-विश्लेषण पर आधारित है। प्राथमिक स्रोतों में शिक्षा आयोग की रिपोर्ट, 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 की कार्ययोजना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में शिक्षा-विकास, समानता, निजीकरण और नीति-शासन पर प्रकाशित शैक्षिक साहित्य तथा आधिकारिक सांख्यिकीय प्रतिवेदन लिए गए हैं। तुलना के लिए नीति के घोषित उद्देश्यों, लक्षित लाभार्थियों, संस्थागत साधनों, वित्तीय अपेक्षाओं और उत्तरदायित्व तंत्रों का अध्ययन किया गया है। यह पद्धति नीति-पाठ और वास्तविक शैक्षिक स्थितियों के बीच अंतर को रेखांकित करने में सहायक है, यद्यपि अध्ययन क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र सर्वेक्षण या साक्षात्कार नहीं करता।

3. स्वतंत्रता-उत्तर शिक्षा नीति का ऐतिहासिक आधार

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 और माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने स्वतंत्र भारत की प्रारंभिक शैक्षिक दिशा को प्रभावित किया। इन आयोगों ने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता, चरित्र-निर्माण, लोकतांत्रिक नागरिकता और माध्यमिक शिक्षा के विविधीकरण पर बल दिया, किंतु सार्वभौमिक विद्यालयी शिक्षा की वित्तीय और प्रशासनिक चुनौती बनी रही। 1964-66 के शिक्षा आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के समग्र ढांचे से जोड़ा और समान विद्यालय प्रणाली, 10+2+3 संरचना, विज्ञान शिक्षा, कार्य-अनुभव, शिक्षक की स्थिति तथा शिक्षा पर राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत व्यय का प्रस्ताव किया। आयोग की विशेषता यह थी कि उसने शिक्षा के विस्तार, समानता और गुणवत्ता को अलग-अलग लक्ष्य मानने के बजाय परस्पर निर्भर माना (भारत सरकार, 1966)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने शिक्षा आयोग की अनेक अनुशंसाओं को नीति-स्तर पर स्वीकार किया। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों की योग्यता और सेवा-शर्तों में सुधार, भाषाओं का विकास, विज्ञान तथा अनुसंधान, कृषि और उद्योग से शिक्षा के संबंध, और राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली की धारणा को महत्व दिया गया। त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय एकता और भाषायी विविधता के बीच संतुलन का माध्यम माना गया। नीति ने समान अवसर का लक्ष्य घोषित किया, किंतु समान विद्यालय प्रणाली को लागू करने के लिए आवश्यक नियामक और वित्तीय साधन पर्याप्त रूप से विकसित नहीं किए गए। परिणामतः सरकारी और निजी विद्यालयों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा सामाजिक समूहों के बीच विभेद बना रहा (भारत सरकार, 1968)।

1968 की नीति की ऐतिहासिक उपलब्धि यह थी कि उसने शिक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्थापित किया और नीति-विमर्श के लिए ऐसे मानक निर्मित किए जो बाद की नीतियों में बार-बार लौटे। फिर भी उसके क्रियान्वयन में राज्यों की वित्तीय क्षमता, केंद्र-राज्य समन्वय और प्रशासनिक विस्तार की सीमाएं सामने आईं। शिक्षा में मात्रा, गुणवत्ता और समानता के त्रिकोण को संतुलित करना कठिन सिद्ध हुआ। विद्यालयों की संख्या और नामांकन बढ़े, परंतु शिक्षण-संसाधनों, प्रशिक्षित अध्यापकों और सामाजिक समावेशन की स्थिति समान गति से नहीं बदली। इस अनुभव से यह निष्कर्ष निकलता है कि नीति के आदर्श तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ समयबद्ध वित्त, संस्थागत दायित्व और निगरानी की स्पष्ट व्यवस्था जुड़ी हो।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 की कार्ययोजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा को असमानताओं के उन्मूलन और सामाजिक रूपांतरण का उपकरण माना। महिला समानता, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, दिव्यांग व्यक्तियों और वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष उपायों का उल्लेख इसकी विशिष्टता थी। प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच, नामांकन, स्थायित्व और सीखने की उपलब्धि को एकीकृत रूप से देखा गया। न्यूनतम अधिगम स्तर, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षक-शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन और जिला स्तर पर शैक्षिक योजना जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए। इस नीति ने शिक्षा को केवल औपचारिक संस्थाओं तक सीमित न रखकर प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षण से भी जोड़ा (भारत सरकार, 1986)।

1986 की नीति में समानता का विमर्श अधिक स्पष्ट था, किंतु उसी काल में आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ते कदमों ने शिक्षा में निजी भागीदारी और लागत-वसूली के प्रश्न

को भी महत्व दिया। इस अंतर्विरोध ने आगे चलकर सार्वजनिक और निजी प्रावधान के मिश्रित ढांचे को जन्म दिया। 1992 की संशोधित कार्ययोजना ने विकेंद्रीकरण, सहभागी योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा और संस्थागत उत्तरदायित्व को अधिक ठोस रूप दिया। शिक्षक-शिक्षा के लिए जिला संस्थानों, विद्यालय संसाधन समूहों तथा पाठ्यचर्या के स्थानीयकरण पर बल दिया गया। फिर भी कार्यक्रमों की बहुलता कभी-कभी समान राष्ट्रीय मानकों और स्थानीय अनुकूलन के बीच समन्वय को जटिल बनाती रही (भारत सरकार, 1992)।

1986 और 1992 की नीति-व्यवस्था का एक स्थायी योगदान यह है कि उसने वंचित समूहों की शिक्षा को सामान्य विस्तार का स्वतः प्राप्त परिणाम मानने के बजाय लक्षित सार्वजनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता स्वीकार की। महिला शिक्षा को विकास का गुणक माना गया, जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए छात्रवृत्ति, छात्रावास, स्थानीय शिक्षक और विशेष समर्थन की बात की गई। तथापि सामाजिक न्याय की नीतियां कई बार प्रवेश और नामांकन तक सीमित रहीं; विद्यालय के भीतर भेदभाव, पाठ्यचर्या में प्रतिनिधित्व, भाषा की बाधा और सीखने के परिणामों में अंतर पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं हो सके। यही सीमाएं नीति 2020 के समावेशन संबंधी प्रावधानों के मूल्यांकन के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं।

5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की वैचारिक और संरचनात्मक रूपरेखा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को मानव की रचनात्मक क्षमता, संवैधानिक मूल्यों, सतत विकास और ज्ञान-आधारित समाज से जोड़ती है। नीति का घोषित लक्ष्य पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व पर आधारित शिक्षा-व्यवस्था का निर्माण है। यह रटने पर आधारित अध्ययन से हटकर अवधारणात्मक समझ, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनशीलता, नैतिकता और बहुविषयी अधिगम को प्राथमिकता देती है। नीति की भाषा में शिक्षार्थी-केंद्रित लचीलापन प्रमुख है, परंतु यह लचीलापन तभी सार्थक होगा जब सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में विकल्पों, प्रशिक्षित शिक्षकों तथा संसाधनों की वास्तविक उपलब्धता हो (भारत सरकार, 2020)।

विद्यालयी शिक्षा के लिए 5+3+3+4 संरचना का प्रस्ताव पूर्ववर्ती 10+2 संरचना को बाल-विकास के चरणों के अनुरूप पुनर्गठित करता है। 3 से 8 वर्ष की आयु को आधारभूत चरण में सम्मिलित करके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को औपचारिक नीति-ढांचे में केंद्रीय स्थान दिया गया है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक

ज्ञान को प्राथमिक शर्त माना गया है, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की कमी आगे की शिक्षा में संचयी असमानता उत्पन्न करती है। पाठ्यचर्या के बोझ को घटाने, अनुभवात्मक अधिगम, कला-संयोजन, खेल, कौशल और स्थानीय ज्ञान को जोड़ने का उद्देश्य शिक्षा की प्रासंगिकता बढ़ाना है।

नीति 2020 भाषा के प्रश्न पर मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक, और संभव होने पर उससे आगे, शिक्षा की अनुशंसा करती है। यह दृष्टिकोण बच्चों की संज्ञानात्मक समझ और सांस्कृतिक आत्मविश्वास के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु भारत की बहुभाषिक गतिशीलता में इसके क्रियान्वयन के लिए पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक-तैयारी और अभिभावकीय आकांक्षाओं का समन्वय आवश्यक है। अंग्रेजी-माध्यम को सामाजिक गतिशीलता से जोड़ने वाली धारणा के कारण मातृभाषा नीति को गरीब विद्यार्थियों तक सीमित करने का जोखिम भी है। भाषायी न्याय का अर्थ केवल स्थानीय भाषा की घोषणा नहीं, बल्कि सभी भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण-सामग्री और आगे की शिक्षा तक समान पहुंच है।

शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को न्यूनतम व्यावसायिक मानक के रूप में विकसित करने, निरंतर व्यावसायिक विकास तथा योग्यता-

आधारित भर्ती पर बल दिया गया है। पूर्ववर्ती नीतियां भी शिक्षक को परिवर्तन का केंद्र मानती थीं, लेकिन शिक्षकों की गैर-शैक्षिक तैनाती, रिक्तियां, संविदाकरण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता जैसी समस्याएं बनीं रहीं। नीति 2020 शिक्षक को पाठ्यचर्या और शिक्षण-विधि में अधिक स्वायत्तता देने की बात करती है। यह स्वायत्तता उत्तरदायित्व से विरोधी नहीं, बल्कि पेशेवर विश्वास और सहयोगी निगरानी के साथ जुड़ी होनी चाहिए।

उच्च शिक्षा में बहुविषयी संस्थानों, 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, बहु-प्रवेश और बहु-निर्गम, शैक्षणिक अंकों के डिजिटल संचयन, अनुसंधान संवर्धन और संबद्ध महाविद्यालय प्रणाली के क्रमिक पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है। नीति का लक्ष्य खंडित अनुशासनात्मक सीमाओं को कम करना और विद्यार्थियों को विषय-चयन में लचीलापन देना है। साथ ही, संस्थागत शासन को अधिक स्वायत्त तथा परिणामोन्मुख बनाने की बात की गई है। किंतु बहु-निर्गम व्यवस्था सामाजिक रूप से वंचित विद्यार्थियों के लिए अवसर की जगह समयपूर्व निर्गमन का वैधीकरण न बन जाए, इसके लिए आर्थिक सहायता, परामर्श और पुनःप्रवेश की प्रभावी व्यवस्था आवश्यक है।

6. प्रमुख नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण

तालिका 1: प्रमुख शिक्षा नीतियों के तुलनात्मक आयाम

तुलनात्मक आयाम	नीति 1968	नीति 1986 तथा 1992	नीति 2020
मूल दृष्टि	राष्ट्रीय एकता, आधुनिकता और समान अवसर	सामाजिक न्याय, सार्वभौमिकता और लक्षित सहायता	समग्र विकास, लचीलापन और ज्ञान-आधारित समाज
विद्यालयी संरचना	10+2+3 के राष्ट्रीय प्रतिरूप का समर्थन	संरचना की निरंतरता और प्राथमिक शिक्षा का विस्तार	5+3+3+4 तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था का समावेश
भाषा	त्रिभाषा सूत्र और भारतीय भाषाओं का विकास	त्रिभाषा सूत्र की पुनर्पुष्टि	मातृभाषा या स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षण पर बल
समानता	समान अवसर और सामान्य विद्यालय की आकांक्षा	महिला, जाति, जनजाति और दिव्यांगता पर लक्षित उपाय	सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह और समावेशन क्षेत्र
पाठ्यचर्या	विज्ञान, कार्य-अनुभव और नैतिक शिक्षा	न्यूनतम अधिगम स्तर और बाल-केंद्रित दृष्टि	क्षमता-आधारित, अनुभवात्मक और बहुविषयी अधिगम
व्यावसायिक शिक्षा	कार्य और उत्पादन से संबंध	व्यावसायीकरण के विस्तार का लक्ष्य	कक्षा 6 से परिचय, स्थानीय कौशल और प्रशिक्षुता
शिक्षक-शिक्षा	स्थिति, योग्यता और सेवा-शर्तों में सुधार	जिला शिक्षक-शिक्षा संस्थान और सेवाकालीन प्रशिक्षण	4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम और निरंतर व्यावसायिक विकास
उच्च शिक्षा	विस्तार, गुणवत्ता और अनुसंधान	स्वायत्तता, मुक्त शिक्षा और नियोजन	बहुविषयी संस्थान, लचीली उपाधियां और शोध संवर्धन
प्रौद्योगिकी	सीमित उल्लेख	दूरस्थ शिक्षा और शैक्षिक संचार	डिजिटल अवसंरचना, मिश्रित शिक्षण और प्रौद्योगिकी मंच
वित्त और शासन	सार्वजनिक व्यय 6 प्रतिशत का लक्ष्य	विकेंद्रीकरण और कार्यक्रम-आधारित क्रियान्वयन	संघीय समन्वय, संस्थागत पुनर्गठन और 6 प्रतिशत लक्ष्य की पुनर्पुष्टि

6.1 निरंतरता और परिवर्तन

तुलना से स्पष्ट है कि नीति 2020 पूर्ववर्ती नीतियों से पूर्ण विच्छेद नहीं करती। राष्ट्रीय एकता, भारतीय भाषाओं, विज्ञान, समानता, शिक्षक की केंद्रीयता, व्यावसायिक शिक्षा और सार्वजनिक व्यय के लक्ष्य पहले से उपस्थित थे। नवीनता मुख्यतः इन उद्देश्यों के पुनर्संयोजन, बाल-विकास आधारित संरचना, बहुविषयी उच्च शिक्षा, डिजिटल व्यवस्था और लचीली शैक्षणिक प्रगति में दिखाई देती है। इस प्रकार नीति 2020 को पुराने उद्देश्यों की नई संस्थागत व्याकरण कहा जा सकता है। यह व्याकरण वैश्विक ज्ञान-अर्थव्यवस्था और स्थानीय सांस्कृतिक जड़ों को एक साथ साधने का प्रयास करती है, किंतु दोनों के बीच संभावित तनाव को पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं करती।

पूर्ववर्ती नीतियों में राज्य को शिक्षा का प्रमुख प्रदाता और नियामक माना गया था, जबकि वर्तमान व्यवस्था में सार्वजनिक, निजी, परोपकारी और प्रौद्योगिकी-आधारित संस्थाओं की भूमिका अधिक जटिल हो गई है। नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक शिक्षा की प्रतिबद्धता व्यक्त करती है, पर साथ ही संस्थागत स्वायत्तता, परोपकारी निजी भागीदारी और डिजिटल साधनों का विस्तार भी चाहती है। यदि नियमन पारदर्शी और समानतामूलक न हो तो संसाधन-संपन्न संस्थान विकल्प और नवाचार का लाभ उठाएंगे, जबकि कमजोर संस्थान न्यूनतम अनुपालन तक सीमित रह सकते हैं। शिक्षा-नीति की सफलता इसलिए बाजार-विस्तार से अधिक सार्वजनिक मानकों की प्रभावी रक्षा पर निर्भर करती है।

6.2 विद्यालयी संरचना, पाठ्यचर्या और मूल्यांकन

5+3+3+4 संरचना की शैक्षिक सार्थकता इस बात में है कि वह आयु-विशिष्ट विकास और प्रारंभिक बाल्यावस्था को नीति के केंद्र में लाती है। फिर भी संरचना बदलने मात्र से कक्षा-कक्ष की संस्कृति नहीं बदलती। अनुभवात्मक और क्षमता-आधारित शिक्षण के लिए कम छात्र-शिक्षक अनुपात, शिक्षण-सामग्री, स्थानीय योजना और सतत आकलन की पेशेवर समझ आवश्यक है। यदि परीक्षाएं तथ्य-स्मरण और उच्च दांव वाली चयन-प्रक्रियाओं पर केंद्रित रहेंगी तो पाठ्यचर्या में घोषित परिवर्तन व्यवहार में सीमित हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 ने क्षमता, मूल्यों और चरणानुकूल शिक्षण को विस्तार दिया है, पर उसका प्रभाव राज्यों की पाठ्यपुस्तक और शिक्षक-प्रशिक्षण प्रणालियों पर निर्भर करेगा (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 2023)।

पूर्व नीतियों ने भी पाठ्यक्रम के बोझ, परीक्षा सुधार और कार्य-अनुभव की आवश्यकता को पहचाना था। अंतर यह है

कि नीति 2020 विषयों के कठोर विभाजन को कम करने और कला, विज्ञान, व्यावसायिक तथा सह-पाठ्यचर्या क्षेत्रों के बीच समानता की भाषा अपनाती है। यह परिवर्तन शैक्षिक पदानुक्रम को चुनौती दे सकता है, पर सामाजिक प्रतिष्ठा और रोजगार-संरचना में परिवर्तन के बिना व्यावसायिक विषयों को निम्नतर विकल्प मानने की प्रवृत्ति बनी रह सकती है। इसलिए पाठ्यचर्या सुधार को श्रम के सम्मान, करियर-मार्गदर्शन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जुड़े विश्वसनीय कौशल-मार्गों के साथ लागू करना होगा।

6.3 भाषा, संस्कृति और ज्ञान

भाषा नीति में 1968 से 2020 तक भारतीय भाषाओं के संरक्षण और बहुभाषिकता की निरंतरता दिखाई देती है। नीति 2020 मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक लाभ को स्वीकार करती है और अनुवाद, भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा तथा शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन की बात करती है। किंतु भाषा केवल शिक्षण का माध्यम नहीं, सामाजिक पूंजी और रोजगार का साधन भी है। अंग्रेजी तक असमान पहुंच ने लंबे समय से वर्गीय विभाजन को बढ़ाया है। यदि संपन्न विद्यार्थी बहुभाषिक दक्षता प्राप्त करें और गरीब विद्यार्थी केवल सीमित स्थानीय संसाधनों तक रह जाएं, तो मातृभाषा का आदर्श समानता के विपरीत परिणाम दे सकता है। अतः बहुभाषिकता का अर्थ मातृभाषा के साथ गुणवत्तापूर्ण दूसरी और तीसरी भाषा सीखने का समान अवसर होना चाहिए।

6.4 समानता और सामाजिक न्याय

1968 की नीति ने समान अवसर की बात की, 1986 की नीति ने विशिष्ट वंचित समूहों के लिए लक्षित प्रावधानों को विस्तार दिया और नीति 2020 ने सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की व्यापक श्रेणी अपनाई। यह व्यापकता अंतःसंबद्ध वंचन को पहचानने में उपयोगी है, पर अत्यधिक व्यापक श्रेणी विशिष्ट समूहों की ऐतिहासिक समस्याओं को अस्पष्ट भी कर सकती है। जाति, जनजातीय स्थिति, लिंग, दिव्यांगता, भाषा, क्षेत्र और आय के प्रभाव अलग-अलग तथा संयुक्त दोनों रूपों में काम करते हैं। इसलिए योजना और आंकड़ा-संग्रह में समूह-विशिष्ट संकेतक आवश्यक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अधिकार-आधारित ढांचा स्थापित किया, जिससे नीति-घोषणा को न्यायसंगत दावे में बदला गया (भारत सरकार, 2009)।

नीति 2020 समावेशन निधि, विशेष शिक्षा क्षेत्र, छात्रवृत्ति, सुरक्षित विद्यालय, खुली शिक्षा और वैकल्पिक मार्गों का उल्लेख करती है। फिर भी समावेशन को केवल प्रवेश तक सीमित नहीं किया जा सकता। विद्यालय में सम्मानपूर्ण व्यवहार, पाठ्यचर्या में विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व,

भेदभाव-निरोधक व्यवस्था, भाषा-सहायता और सीखने के लिए अतिरिक्त समय समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। निजी शिक्षण, महंगे डिजिटल उपकरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे छिपे व्यय औपचारिक रूप से निःशुल्क शिक्षा को भी असमान बना सकते हैं। अतः सामाजिक न्याय के मूल्यांकन में नामांकन के साथ उपस्थिति, संक्रमण, उपलब्धि, मानसिक स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा तक प्रगति के संकेतक शामिल किए जाने चाहिए।

6.5 शिक्षक, व्यावसायिक शिक्षा और संस्थागत क्षमता

सभी नीतियों ने शिक्षक की स्थिति को निर्णायक माना, परंतु शिक्षक-नीति में घोषणाओं और वास्तविकता का अंतर लगातार बना रहा। नीति 2020 का 4 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम व्यावसायिक तैयारी को मजबूत कर सकता है, किंतु वर्तमान शिक्षक-शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता, संकाय उपलब्धता और क्षेत्रीय वितरण का सुधार अनिवार्य है। निरंतर प्रशिक्षण को अल्पकालिक प्रमाणपत्रों की संख्या से नहीं, कक्षा में बदले हुए व्यवहार, सहयोगी अध्ययन और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायित्व से मापा जाना चाहिए। शिक्षक की स्वायत्तता तभी संभव है जब प्रशासनिक बोझ कम हो, समय पर नियुक्ति हो और विद्यालय नेतृत्व शैक्षिक समर्थन प्रदान करे।

व्यावसायिक शिक्षा में नीति 2020 का लक्ष्य विद्यालय स्तर से कौशल-परिचय और उच्च शिक्षा में व्यावसायिक तथा अकादमिक मार्गों के बीच आवागमन को आसान बनाना है। पूर्व नीतियों में भी व्यावसायीकरण का लक्ष्य ऊंचा था, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा, उद्योग-संबंध और प्रशिक्षकों की कमी के कारण सीमित सफलता मिली। नई व्यवस्था को स्थानीय शिल्प और पारंपरिक ज्ञान को केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, उद्यमिता, श्रम-अधिकार और आगे की शिक्षा से जुड़े ज्ञान के रूप में विकसित करना होगा। अन्यथा गरीब विद्यार्थियों को शीघ्र श्रम-बाजार की ओर और संपन्न विद्यार्थियों को अकादमिक उच्च शिक्षा की ओर धकेलने वाला द्वैध ढांचा पुनः निर्मित हो सकता है।

6.6 उच्च शिक्षा, अनुसंधान और शासन

उच्च शिक्षा में बहुविषयीता नीति 2020 की सबसे चर्चित विशेषताओं में है। संबद्ध महाविद्यालयों की बड़ी संख्या और संकीर्ण विषय-केंद्रित संस्थानों ने पाठ्यचर्या नवाचार तथा अनुसंधान को सीमित किया है। बड़े बहुविषयी संस्थान संसाधनों के साझे उपयोग, विषयों के संवाद और विद्यार्थी-विकल्प को बढ़ा सकते हैं। किंतु संस्थानों के विलय या पुनर्गठन से स्थानीय पहुंच कम न हो, यह सुनिश्चित करना होगा। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय

सामाजिक गतिशीलता के महत्वपूर्ण साधन हैं। बहुविषयीता का अर्थ केवल विषयों की सूची बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्याप्त संकाय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अकादमिक परामर्श उपलब्ध कराना है।

नीति उच्च शिक्षा नियमन को कार्य-आधारित निकायों में व्यवस्थित करने और संस्थागत स्वायत्तता बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। स्वायत्तता ज्ञान-उत्पादन और नवाचार के लिए आवश्यक है, पर बिना लोकतांत्रिक आंतरिक शासन के यह प्रबंधकीय केंद्रीकरण में बदल सकती है। शैक्षणिक परिषदों, शिक्षक और विद्यार्थी प्रतिनिधित्व, पारदर्शी नियुक्ति तथा सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व को स्वायत्तता का अभिन्न भाग बनाना होगा। भारतीय उच्च शिक्षा की वृद्धि विकास और लोकतंत्रीकरण दोनों का परिणाम रही है, किंतु गुणवत्ता तथा अवसर की क्षेत्रीय असमानताएं बनी रही हैं (तिलक, 2018)।

अनुसंधान के लिए पृथक राष्ट्रीय संस्था की कल्पना प्रतिस्पर्धी अनुदान, अंतरविषयी परियोजनाओं और विश्वविद्यालयों में शोध-संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकती है। इसके बावजूद अनुसंधान क्षमता केवल अनुदान वितरण से नहीं बनती; स्थायी संकाय, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, शोध-पद्धति प्रशिक्षण, नैतिक समीक्षा और भारतीय भाषाओं में ज्ञान-प्रसार भी आवश्यक हैं। उत्कृष्टता की संकीर्ण रैंकिंग के बजाय सामाजिक प्रासंगिकता, क्षेत्रीय समस्याओं और सार्वजनिक उपयोगिता को भी मूल्यांकन में स्थान मिलना चाहिए।

6.7 प्रौद्योगिकी और डिजिटल समानता

पूर्ववर्ती नीतियों में दूरस्थ शिक्षा और शैक्षिक प्रसारण का उल्लेख था, पर नीति 2020 डिजिटल अवसरचना, मुक्त शैक्षिक सामग्री, आभासी प्रयोगशालाओं और मिश्रित शिक्षण को व्यापक स्थान देती है। महामारी के अनुभव ने डिजिटल माध्यम की उपयोगिता और सीमाएं दोनों उजागर कीं। उपकरण, विश्वसनीय इंटरनेट, बिजली, शांत अध्ययन-स्थान और डिजिटल साक्षरता में असमानता के कारण समान सामग्री भी असमान परिणाम दे सकती है। प्रौद्योगिकी शिक्षक का विकल्प नहीं, बल्कि शिक्षण-सहायक माध्यम है। ऑकड़ा-सुरक्षा, बच्चों की निजता, मंचों की व्यावसायिक निर्भरता और गणनात्मक पक्षपात पर स्पष्ट सार्वजनिक मानक आवश्यक हैं।

डिजिटल शिक्षा की नीति को सार्वभौमिक अभिगम, दिव्यांग-अनुकूल अभिकल्पना और स्थानीय भाषाओं में सामग्री से जोड़ना चाहिए। केवल सामग्री उपलब्ध कराना सीखने का प्रमाण नहीं है। प्रभावी डिजिटल शिक्षण में संवाद, प्रतिक्रिया, सहयोग और मूल्यांकन शामिल होते हैं। राज्य को

सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के साथ विद्यालय पुस्तकालय, प्रयोगशाला और प्रत्यक्ष शिक्षण में निवेश बनाए रखना चाहिए, क्योंकि तकनीकी समाधान भौतिक संस्थागत कमी की भरपाई नहीं कर सकते।

7. क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति और प्रमुख चुनौतियां

विद्यालयी आंकड़ों को नई 5+3+3+4 संरचना के अनुरूप प्रस्तुत करने का प्रयास नीति-क्रियान्वयन की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। 2023-24 की एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली की रिपोर्ट ने आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों के अनुसार संकेतक व्यवस्थित किए। इससे नीति के चरणानुकूल लक्ष्यों को आंकड़ों से जोड़ने की संभावना बढ़ती है, किंतु विद्यालय-स्तरीय आंकड़ों की गुणवत्ता, समयबद्धता और उपयोग पर सतत ध्यान आवश्यक है। आंकड़ा-संग्रह तभी उपयोगी है जब स्थानीय प्रशासन और विद्यालय समुदाय उसे सुधार-योजना में बदल सकें (शिक्षा मंत्रालय, 2024)।

उच्च शिक्षा के आधिकारिक आंकड़े विस्तार और समावेशन की मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। 2023-24 में कुल नामांकन 4.50 करोड़ और सकल नामांकन अनुपात 30 दर्ज किया गया, जबकि महिला सकल नामांकन अनुपात 31.2 रहा। अनुसूचित जाति का अनुपात 27.8 और अनुसूचित जनजाति का 22.8 था। ये प्रगति के संकेत हैं, पर समूहों के बीच अंतर तथा संस्थानों की गुणवत्ता में विषमता अभी भी महत्वपूर्ण है। आधिकारिक सर्वेक्षण स्वयं यह स्वीकार करता है कि संस्थानों द्वारा स्व-प्रतिवेदित आंकड़ों की कुछ सीमाएं हो सकती हैं (शिक्षा मंत्रालय, 2026)।

नीति 2020 की व्यापकता क्रियान्वयन के लिए बहुस्तरीय समन्वय की मांग करती है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है; पाठ्यचर्या, भाषा, शिक्षक-भर्ती, विश्वविद्यालय शासन और वित्त पर केंद्र तथा राज्यों की भूमिकाएं परस्पर निर्भर हैं। राज्यों की राजकोषीय क्षमता और प्रशासनिक प्राथमिकताएं अलग हैं। यदि सुधार केंद्रीय दिशा-निर्देशों तक सीमित रहें और राज्यों को पर्याप्त वित्त तथा संस्थागत समर्थन न मिले, तो क्रियान्वयन असमान होगा। इसी प्रकार, संस्थानों को बार-बार बदलते नियमों के बजाय चरणबद्ध, परामर्शपूर्ण और मूल्यांकनीय संक्रमण की आवश्यकता है।

8. आलोचनात्मक मूल्यांकन

नीति 2020 की प्रमुख शक्ति उसकी समग्र दृष्टि है। प्रारंभिक बाल्यावस्था से उच्च शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और वयस्क शिक्षा तक एकीकृत ढांचा शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बीच संबंध स्थापित करता है। आधारभूत साक्षरता, बहुभाषिकता, कला और खेल, बहुविषयीता तथा शिक्षक-

व्यावसायिकता पर बल समकालीन शैक्षिक चिंताओं से मेल खाता है। किंतु व्यापक दृष्टि के कारण प्राथमिकताओं का क्रम अस्पष्ट हो सकता है। सीमित संसाधनों में सबसे पहले आधारभूत अधिगम, शिक्षक रक्तियां, सुरक्षित विद्यालय और वंचित विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष समर्थन पर केंद्रित निवेश आवश्यक है।

दूसरी चुनौती वित्त की है। शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के 6 प्रतिशत लक्ष्य की पुनर्पुष्टि ऐतिहासिक निरंतरता दिखाती है, पर लंबे समय से यह लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ। नीति के अनेक प्रस्तावों में नई संस्थाएं, पाठ्यचर्या परिवर्तन, प्रशिक्षण, डिजिटल अवसंरचना और उच्च शिक्षा पुनर्गठन शामिल हैं। इनके लिए नियमित राजस्व व्यय, न कि केवल परियोजना-आधारित अनुदान, आवश्यक है। पर्याप्त वित्त के अभाव में लचीले विकल्प और प्रौद्योगिकी संपन्न संस्थानों तक सीमित रह सकते हैं, जिससे नीति का समानतामूलक उद्देश्य कमजोर होगा।

तीसरी चुनौती निजीकरण और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के संबंध की है। भारत में शिक्षा की मांग बढ़ने पर निजी संस्थाओं ने विस्तार किया, लेकिन शुल्क, चयन, शिक्षक-सेवा शर्तों और गुणवत्ता में व्यापक अंतर पाया जाता है। नीति पारदर्शी और समान मानकों की बात करती है; इसके लिए नियमन को दंडात्मक निरीक्षण से आगे बढ़ाकर सार्वजनिक सूचना, सामाजिक लेखा और संस्थागत समर्थन से जोड़ना होगा। शिक्षा को उपभोक्ता सेवा मात्र मानने पर नागरिकता, समानता और सार्वजनिक तर्क की भूमिकाएं कमजोर हो सकती हैं।

चौथी चुनौती सुधारों के मूल्यांकन की है। सफलता को केवल नई संरचना अपनाने, डिजिटल खातों की संख्या, पाठ्यक्रमों की बहुलता या संस्थागत विलय से नहीं मापा जाना चाहिए। सीखने की गहराई, विद्यालय में बने रहने की दर, सामाजिक समूहों के बीच अंतर, शिक्षक संतुष्टि, शोध की गुणवत्ता और स्नातकों की सार्थक सहभागिता जैसे परिणाम आवश्यक हैं। नीति-निर्माण में स्वतंत्र मूल्यांकन, सार्वजनिक आंकड़े और स्थानीय समुदायों की भागीदारी शामिल होनी चाहिए।

9. प्रमुख निष्कर्ष और नीतिगत सुझाव

अध्ययन का पहला निष्कर्ष यह है कि नीति 2020 की अनेक मूल प्रतिज्ञाएं पूर्ववर्ती नीतियों की निरंतरता हैं, किंतु उनकी संरचनात्मक प्रस्तुति अधिक व्यापक और लचीली है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि नीति-नवाचार और क्रियान्वयन क्षमता के बीच अंतर भारतीय शिक्षा सुधार की स्थायी समस्या है। तीसरा निष्कर्ष यह है कि समानता को केवल प्रवेश के रूप में नहीं, बल्कि सीखने, विकल्प, भाषा, डिजिटल पहुंच

और उच्च शिक्षा तक प्रगति के रूप में समझना होगा। चौथा निष्कर्ष यह है कि शिक्षक और सार्वजनिक संस्थान नीति के वास्तविक वाहक हैं; उनके बिना पाठ्यचर्या या तकनीकी सुधार टिकाऊ नहीं होंगे।

नीतिगत रूप से केंद्र और राज्यों को 10 वर्ष की वित्तीय रूपरेखा बनाकर आधारभूत शिक्षा, शिक्षक पदों और वंचित समूहों के समर्थन के लिए संरक्षित व्यय निर्धारित करना चाहिए। भाषा नीति के लिए बहुभाषिक पाठ्यसामग्री, अनुवाद, शिक्षक-भर्ती और अंग्रेजी सहित अतिरिक्त भाषाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उच्च शिक्षा में बहु-प्रवेश और निर्गम के सामाजिक प्रभाव का नियमित अध्ययन किया जाए तथा आर्थिक कारणों से बाहर होने वाले विद्यार्थियों को सक्रिय पुनःप्रवेश सहायता दी जाए। डिजिटल नीति में उपकरण, संपर्क, दिव्यांग-अनुकूलता, निजता और सार्वजनिक मंचों के मानक शामिल हों।

मूल्यांकन व्यवस्था को परीक्षा-परिणाम और प्रशासनिक अनुपालन से आगे बढ़ाकर संस्थागत गुणवत्ता, सामाजिक न्याय और विद्यार्थी कल्याण के संकेतकों पर आधारित करना चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समितियों, स्थानीय निकायों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की भागीदारी से सार्वजनिक निगरानी को मजबूत किया जा सकता है। नीति के प्रत्येक बड़े सुधार के लिए स्पष्ट आधाररेखा, समयबद्ध लक्ष्य और स्वतंत्र मध्यावधि समीक्षा आवश्यक है। ऐसी समीक्षा नीति की आलोचना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक सीखने की प्रक्रिया है।

10. निष्कर्ष

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा नीतियों का विकास आदर्शों की निरंतरता और संस्थागत प्रयोगों की जटिल प्रक्रिया रहा है। 1968 की नीति ने राष्ट्रीय प्रणाली, विज्ञान और समान अवसर का आधार रखा; 1986 और 1992 ने सामाजिक न्याय, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा तथा विकेंद्रीकरण को विस्तार दिया; और नीति 2020 ने प्रारंभिक बाल्यावस्था, बहुविषयीता, लचीलापन तथा डिजिटल परिवर्तन को समेकित किया। फिर भी इतिहास यह दिखाता है कि नीति-पाठ की प्रगतिशील भाषा अपने आप शैक्षिक समानता नहीं बनाती। इसके लिए पर्याप्त सार्वजनिक वित्त, पेशेवर शिक्षक, सुदृढ़ स्थानीय संस्थाएं, संघीय सहयोग और भेदभाव के प्रति स्पष्ट उत्तरदायित्व आवश्यक हैं। नीति 2020 की वास्तविक सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि वह सबसे वंचित शिक्षार्थी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सम्मान और भविष्य के विकल्पों को कितना विस्तृत करती है।

संदर्भ

1. भारत सरकार. (1966). शिक्षा और राष्ट्रीय विकास:

शिक्षा आयोग 1964-66 की रिपोर्ट. शिक्षा मंत्रालय.

2. भारत सरकार. (1968). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968. शिक्षा मंत्रालय.
3. भारत सरकार. (1986). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986. मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
4. भारत सरकार. (1992). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संशोधित कार्ययोजना. मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
5. भारत सरकार. (2009). बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009. विधि और न्याय मंत्रालय.
6. भारत सरकार. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020. शिक्षा मंत्रालय.
7. किंगडन, जी. जी. (2007). भारत में विद्यालय शिक्षा की प्रगति. आर्थिक नीति का ऑक्सफोर्ड पुनरावलोकन, 23(2), 168-195.
8. कुमार, के. (2005). शिक्षा का राजनीतिक कार्यसूची: उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन. सेज प्रकाशन.
9. नाईक, जे. पी. (1975). भारतीय शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और मात्रा. एलाइड प्रकाशक.
10. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. (2023). विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023. शिक्षा मंत्रालय.
11. तिलक, जे. बी. जी. (2018). भारत में शिक्षा और विकास: महत्वपूर्ण प्रश्न. पालग्रेव मैकमिलन.
12. शिक्षा मंत्रालय. (2024). एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2023-24: राष्ट्रीय शिक्षा नीति संरचना के अनुसार विद्यालयी शिक्षा रिपोर्ट. भारत सरकार.
13. शिक्षा मंत्रालय. (2026). अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24. भारत सरकार.
14. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन. (2020). वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020: समावेशन और शिक्षा. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, conclusions, and opinions expressed in articles published in this journal are exclusively those of the individual author(s) and contributor(s). The publisher and/or editorial team neither endorse nor necessarily share these viewpoints. The publisher and/or editors assume no responsibility or liability for any damage, harm, loss, or injury, whether personal or otherwise, that might occur from the use, interpretation, or reliance upon the information, methods, instructions, or products discussed in the journal's content.